

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, बुध्नपतिवार, जनवरी 6, 1972/पौष 16, 1893

No. 5] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 6, 1972, PAUSA 16, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

RESOLUTION

New Delhi, the 22nd December 1971

No. 23(1)/71-COR.—The Government of India have decided that Dr. B K. Bhattacharya, I.A.S., Refugee Relief and Rehabilitation Commissioner, West Bengal and *ex-officio* Secretary, Refugee Relief and Rehabilitation Department of the Government of West Bengal would act as a Member in place of Shri B. B. Mandal, former Secretary, Refugee Relief and Rehabilitation Department, Government of West Bengal, with immediate effect, in the Committee of Review of Rehabilitation Work in West Bengal set up in terms of Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Rehabilitation) Resolution No. 5(21)/66-RE, dated the 6th January, 1967, as amended from time to time.

G. S. KAHLON, Secy.

श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय

(पुनर्वासि विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1971

सं० 23(1)/71-सं०स०.—भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि पश्चिम बंगाल में पुनर्वासि कार्य की समीक्षा समिति में, जो भारत सरकार के श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय (पुनर्वासि विभाग) के संकल्प संख्या 5(21)/66-आर० ई० दिनांक 6 जनवरी, 1967 द्वारा स्थापित की गई थी और जिसमें समय समय पर संशोधन किए गए हैं, श्री बी० बी० मण्डल, भूतपूर्व सचिव, शरणार्थी सहायता और पुनर्वासि विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के स्थान पर डा० बी० के० भट्टाचार्य, आई०ए०एस०, शरणार्थी सहायता और पुनर्वासि आयुक्त, पश्चिम बंगाल तथा पदेन सचिव, शरणार्थी सहायता और पुनर्वासि विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार तत्काल प्रभाव से समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

जी० एस० काहलों, सचिव।